तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक/4/शैक्ष/एस/2009/2346 भोपाल,दिनांक 7/11/2009

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
मध्यप्रदेश की समस्त एम.बी.ए/एम.सी.ए/
फार्मेसी (बी.फार्मा/डी.फार्मा)/बी.ई/
डिप्लोमा,संस्थाऐं।

विषयः–पिछडा वर्ग, SC & ST की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को ऑनलाईन करने बाबत्।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अर्न्तगत पात्र छात्र/छात्राओं को सही समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था/प्रक्रिया को ऑनलाईन करने का निर्णय संबंधित विभागों द्वारा लिया गया है। इस हेतु NIC ने इंटरनेट आधारित Work Flow Software तैयार किया है जो demo.mp.nic.in/escholarship वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रदेश की अधिकांश संस्थाओं द्वारा इसका उपयोग इस सत्र् से प्रारंभ किया जा चूका है।

इस व्यवस्था के लागू होने पर छात्र अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रविष्ट कर पाएगें तथा उसकी वर्तमान स्थिति तथा स्वीकृत राशि का विवरण भी ऑनलाइन देख पायेंगे। संस्थायें इस प्रणाली का उपयोग कर छात्रों से प्राप्त आवेदन को ऑनलाईन ही स्वीकृत अथव अस्वीकृत कर पायेंगें। तथा छात्रवृत्ति से संबधित प्रस्ताव/स्वीकृती पत्र भी तैयार कर पायेंगे। आगामी वर्षो से संस्थाओं में इस वर्ष अध्ययनरत् छात्रों का छात्रवृत्ति संबंधी डाटा पूर्व से ही उपलब्ध होंगा एवं संस्थाओं को छात्रवृत्ति संबंधी कार्यो में आसानी होगी।

इस प्रणाली द्वारा छात्रों व संस्था के छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा परदर्शिता के साथ निराकरण तथा अन्य लाभों को देखते हुए यह व्यवस्था NIC के तकनीकी सहयोग के सभी संस्थाओं में लागू की जाना है। अतः इस प्रणाली का उपयोग समस्त संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे की ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों पर ही कार्यवाही की जावें। जो आवेदन किसी कारणवश प्राप्त नहीं हो पाये है, उन्हे संस्था स्तर पर online प्रविष्ट किया जावें। छात्रों को आवेदन online प्रविष्ट करने हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध कराई जावे।

इस प्रणाली के उपयोग के लिये Login, Passward प्राप्त करने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर NIC के कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा समय–समय पर शासन द्वारा की जावेगी। साथ ही इस विषय से संबंधित अन्य जानकारी विभाग की बेबसाईट www.mptechedu.org पर उपलब्ध रहेगी।

इस प्रणाली के क्रियान्वन के संबंध में संचालक तकनीकी शिक्षा दिनांक 20/11/09 को 2:30 बजे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त संस्थाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें आप उक्त दिनांक व समय पर NIC के कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यालय में उपस्थित रहे। NIC के कलेक्ट्रेट स्थित जिला कार्यालयों में विडियो कान्फ्रेसिंग की व्यवस्था उपलब्ध है।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्य प्रदेश

पृ0 क्रमाक / 4 / शैक्ष / एस / 2009 /2347 भोपाल,दिनांक 7/11/2009

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव म.प्र शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव म.प्र शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
5. जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, NIC विंध्याचल भवन, भोपाल।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्य प्रदेश